कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरसवनप्रभाग,हाथरस।

पत्राँक 2812 /14–1, दिनाँकः हाथरसः अप्रैल , 02 2024

सेवामें,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषयः– **कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-Post Facto) के अन्तर्गत जनपद हाथरस में नगला उम्मेद–नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस–आगरा मार्ग) कि0मी0 03 (चैनेज–2.43) की बांयी पटरी खसरा संख्या–10 पर आई0ओ0सी0एल0 द्वारा रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 0.069777 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/68/2022/एफ0सी0/495 दिनांक 01.02.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-Post Facto) के अन्तर्गत जनपद हाथरस में नगला उम्मेद–नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस–आगरा मार्ग) कि0मी0 03 (चैनेज–2.43) की बांयी पटरी खसरा संख्या–10 पर आई0ओ0सी0एल0 द्वारा रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 0. 069777 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रेषित प्रस्ताव में सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्ति का निराकरण कर आख्या संस्तुति सहित निम्न प्रकार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

क0स0	आपत्ति	निराकरण
1	DFO needs to take cognizance of the violation and initiate action as per FCA guidelines dated 15.05.2023 as directed and authorized by REC.	उक्त के अनुपालन में उक्त प्रतिष्ठान इस कार्यालय के पत्रांक 293/14–1 दिनांक 3.07.2023 द्वारा बन्द कराकर संरक्षित वन क्षेत्र के गैर वानिकी प्रयोग को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जा चुका है तथा एफ0सी0ए0 गाइड लाईन दिनांक 15.05.2023 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 0032 दिनांक 22.02.2024 दर्ज करायी जा चुकी है। **(संलग्नक–1)**
2	A detailed report regarding the same shall be submitted to this office for sending the proposal to the ministry for further neeessary action.	उक्त प्रकरण में वन संरक्षण अधीनियम 1980 के उल्लघंन का विस्तृत कालकम संलग्नकर प्रेषित है। **(संलग्नक–2)**

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(डा0 चन्द्रप्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

पत्रांक 2812 /35–1 दिनांकि

प्रतिलिपि–प्रबन्ध आई0ओ0सी0एल0 आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

(डा0 चन्द्रप्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,हाथरस वन प्रभाग हाथरस।

Mandu Road Sokhna near R.T.O Office, Hathras- E-mail- dfohathras@gmail.com

पत्रांक /14–1, दिनांकः हाथरस, फरवरी, 12 ,2024

सेवामें,

थानाध्यक्ष;
थाना चन्दपा हाथरस।

विषय :– प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक क्रम में जनपद–हाथरस में नगला उम्मेद–नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस आगरा मार्ग) के किनारे की दोनो पटरियां उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के गजट वन विभाग,10 फरवरी,1960 द्वारा संरक्षित वन घोषित है जिस पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुमति लेना अनिवार्य है। परन्तुं प्रयोक्ता अभिकरण मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 कार्यालय 65/2 संलय प्लेस आगरा एवं श्री विनय कुमार वार्ष्णेय, पुत्र श्री नन्नूमल गुप्ता नि0 बी–5 शान्तीकुन्ज, मुरसान गेट, हाथरस द्वारा जनपद–हाथरस में नगला उम्मेद–नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस आगरा मार्ग) किमी0 03 चैनेज 2.243 की बांयी पटरीपर खसरा सं0–10 में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा नवीन रिटेल आउटलेट (सौभाग्य फिलिंग स्टेशन) के निर्माण हेतु 0.069777 है0 संरक्षित वनभूमि पर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 का उल्लघंन कर दण्डनीय अपराध किया गया है।

अतः FCA guidelines dated 15-05-2023 के अनुसार मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 कार्यालय 65/2 संलय प्लेस आगरा एवं श्री विनय कुमार वार्ष्णेय, पुत्र श्री नन्नूमल गुप्ता नि0 बी–5 शान्तीकुन्ज, मुरसान गेट, हाथरस जो पूर्णतः दोषी है के विरुद्ध वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

(डा0 चंद्र प्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

पत्रांक 2185/14–1, दिनांकित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय वन अधिकारी, हाथरस को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित की थानाध्यक्ष, थाना कोतवाली हाथरस से सम्पर्क कर उक्त प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(डा0 चंद्र प्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

कोतवाली चन्दपा

Scanned with OKEN Scanner

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. District (जिला): हाथरस
P.S. (थाना): चन्दपा
Year (वर्ष): 2024
FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0032
Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 22/02/2024 18:58

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980	2

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day (दिन): Date From (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):
Date (दिनांक): 22/02/2024 Time (समय): 18:53 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):
Entry No. (प्रविष्टि सं.): 040 Date & Time (दिनांक और समय): 22/02/2024 18:53 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

Scanned with OKEN Scanner

5.Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): उत्तर, 03 किमी Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): सौभाग्य फिलिंग स्टेशन आगरा ,हाथरस मार्ग थाना चन्दपा

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S. (थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्रीमान डा0 चंद्र प्रताप सिंह प्रभागीय वनाधिकारी हाथरस वन प्रभाग हाथरस

(b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1984

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	वन प्रभाग हाथरस ,हाथरस कोतवाली,हाथरस,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	वन प्रभाग हाथरस ,हाथरस कोतवाली,हाथरस,उत्तर प्रदेश,भारत

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9700000000

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	मुख्य प्रबन्धक रिटेल सेल्स इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड कार्यालय 65-2 संजय प्लेस आगरा			1. IOCLकार्यालय65/2 संजयप्लेसआगरा,हरि पर्वत, आगरा,उत्तर प्रदेश,भारत
2	विनय कुमार वार्ष्णेय		पिता का नाम : श्री नन्नूमल गुप्ता	1. बी-5 शान्तिकुंज मुरसान गेट , हाथरस कोतवाली,हाथरस,उत्तर प्रदेश,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर टाइपशुदा कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,हाथरस वन प्रभाग हाथरस पत्रॉंक 2185/14-1 दिनांकः हाथरस फरवरी 12,2024 सेवा में थानाध्यक्ष थाना चन्दपा हाथरस। विषय- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के सम्बन्ध में। उपरोक्त विषयक क्रम में जनपद हाथरस में नगला-उम्मेद भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस आगरा मार्ग) के

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

किनारे की दोनो पटरिया उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के गजट वन विभाग,10 फरवरी 1960 द्वारा सरक्षिंत वन घोषित हैं जिस पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुमति लेना अनिवार्य है। परन्तु प्रयोक्ता अभिकरण मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) इण्डियन आँयल कारपोरेशन लि0 कार्यालय 65/2 संलय प्लेस आगरा एवं श्री विनय कुमार वार्ष्णेय, पुत्र श्री नन्नूमल गुप्ता नि0 बी-5 शान्तीकुन्ज,मुरसान गेट, हाथरस द्वारा जनपद हाथरस में नगला उम्मेद नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस आगरा मार्ग) किमी0 03 चैनेज 2.243 की बांयी पटरीपर खसरा सं0- 10 में इण्डियन आँयल कारपोरेशन लि0 द्वारा नवीन आउटलेट (सौभाग्य फिलिंग स्टेशन) के निर्माण हेतु 0.069777 है0 संरक्षित वनभूमि पर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 का उल्लघंन कर दण्डनीय अपराध किया गया है। अतः FCA guidelines date 15-05-2023 के अनुसार मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) इण्डियन आँयल कारपोरेशन लि0 कार्यालय 65/2 संलय प्लेस आगरा एवं श्री विनय कुमार वार्ष्णेय, पुत्र श्री नन्नूमल गुप्ता नि0 बी- 5 शान्तीकुन्ज,मुरसान गेट, हाथरस जो पूर्णतः दोषी हैं के विरूद्ध वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। संलग्नक उपरोकानुसार। हस्ताक्षर sd अपठित (डा0 चंद्र प्रताप सिंह) प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस पत्राँक /14-1 दिनांकित। प्रतिलिपिः- क्षेत्रीय वन अधिकारी, हाथरस को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित की थानाध्यक्ष, थाना कोतवाली हाथरस से सम्पर्क कर उक्त प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। - (डा0 चंद्र प्रताप सिंह) प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस नोट- मैं C/C 833 नितेश गौतम प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल मेरे द्वारा शब्द व शब्द अंकित की गयी।

Scanned with OKEN Scanner

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है |)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): .... Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

Scanned with OKEN Scanner

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name PS KOTWALI
Rank I (Inspector)
No. 9454403576

Scanned with OKEN Scanner

कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-Post Facto) के अन्तर्गत जनपद हाथरस में नगला उम्मेद–नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस–आगरा मार्ग) कि0मी0 03 (चैनेज–2.43) की बांयी पटरी खसरा संख्या–10 पर न्यू रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माणकार्यहेतु 0.069777 हे0 संरक्षितवनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग के प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन का कालक्रम

1. प्रकरण में प्रयोक्त एजेंसी द्वारा दिनांक 30.06.2020 को प्रस्ताव ऑफलाइन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया।
2. उक्त प्रस्ताव को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन पूर्ण कर इस कार्यालय के पत्रांक 1801/14–1 दिनांक 21.12.2021 द्वारा कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को प्रेषित किया गया, जिसे उनके कार्यालय के पत्रांक 2062/14–1 दिनांक 10.01.2022 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को प्रेषित किया गया।
3. भारत सरकार की पत्र सं0–08बी/यू0पी0/06/68/2022/एफ.सी./146 दिनांक 21.06.2022 द्वारा उक्त प्रस्ताव में कतिपय आपत्ति लगायी गयी, जिसमें क0सं0–1 पर लगायी गयी आपत्ति (As per the Google earth, imageries dated 03.2022, existing structure of the petrol pump is observed in the proposed area diversion, this needs clarification) के कम में इस कार्यालय के पत्रांक 3855/14–1 दिनांक 23.06.2022 द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, हाथरस से आख्या मॉगी गयी।
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी, हाथरस रेंज द्वारा प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण करने पर पाया गया कि प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य कर लिया गया है। उक्त के क्रम में कार्यवाही स्वरूप, प्रयोक्त एजेंसी के विरुद्ध एच–2 केस निर्गत किया गया।
5. प्रकरण में वनसंरक्षण अधिनियम, 1980 के फलस्वरूप प्रमुख वन संरक्षक, उ०प्र०, लखनऊ के आदेश दिनांक 03.05.2005 के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 30.08.2022 द्वारा 04 बिन्दुओं की सूचना वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को प्रेषित की गयी।
6. उक्त प्रेषित जाँच रिपोर्ट के आधार पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र दिनांक 13.03.2019 के द्वारा प्रकरण में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 के प्राविधानों के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी एवं विभाग के दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध इस कार्यालय के पत्रांक 633/2–1 दिनांक 25.08.2022, 634/2–1 दिनांक 25.08.2022 द्वारा नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही करते हेतु वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को लिखा गया।
7. प्रस्ताव में प्रभाग स्तर से परीक्षण करने एवं उचित कार्यवाही करने के उपरांत, इस कार्यालय पत्र दिनांक 30.08.2022 द्वारा कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संस्तुति सहित वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को प्रेषित किया गया।
8. प्रस्ताव में वृत्त स्तर से परीक्षण करने एवं उचित कार्यवाही करने के उपरान्त, वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ के द्वारा कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संस्तुति सहित मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित किया गया।
9. प्रेषित प्रस्ताव पर उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 18.09.2022 द्वारा उक्त प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया गया।
10. भारत सरकार की पत्र सं0–08बी/यू0पी0/06/68/2022/एफ.सी./699 दिनांक 24.11.2022 के कम में इस कार्यालय के पत्रांक 1743/14–1 दिनांक 17.12.2022 के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन की आख्या वन संरक्षक अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को प्रेषित की गयी।
11. पुनः भारत सरकार की पत्र सं0–08बी/यू0पी0/06/68/2022/एफ.सी./174 दिनांक 9.06.2023 के कम में इस कार्यालय के पत्रांक 170/14–1 दिनांक 13.07.2023 द्वारा आख्या प्रेषित की गयी।
12. तदोपरान्त भारत सरकार की पत्र सं0–08बी/यू0पी0/06/68/2022/एफ.सी./311 दिनांक 24.08.2023 के कम में इस कार्यालय के पत्रांक 612/14–1 दिनांक 30.08.2023 द्वारा आख्या संलग्नकर वन संरक्षक अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को प्रेषित की गयी।

Scanned with OKEN Scanner

उल्लंघन की स्थिति

प्रकरण में जनपद हाथरस में नगला उम्मेद–नगला भुसमार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस–आगरा मार्ग) कि0मी0 03 (चैनेज–2.43) की बांयी पटरी खसरा संख्या–10 पर नवीनरिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग कार्य बिना भारत सरकार की पूर्वानुमति के किया गया है एवं वर्तमान में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन विद्यमान है।

उल्लंघन हेतु दोषी प्राधिकरण/विभाग का नाम

1. मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) इण्डियन ऑयल कार्पो0 लिमिटेड, संजय प्लेस आगरा–भारत सरकार के पूर्वानुमति के रिटेल आउटलेट की स्थापना कराये जाने के कारण।
2. श्री विनय कुमार वार्ष्येय, प्रतिनिधि इण्डियन ऑयल कार्पो0 लिमिटेड, संजय प्लेस आगरा–भारत सरकार के पूर्वानुमति के रिटेल आउटलेट की स्थापना कराये जाने के कारण।

उल्लंघन हेतु दोषी प्राधिकरण/विभाग के विरूद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण

1. प्रयोक्ता एजेंसी के विरूद्ध

जनपद हाथरस में नगला उम्मेद–नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस–आगरा मार्ग) कि0मी0 03 (चैनेज–2.43) की बांयी पटरी खसरा संख्या–10 में नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग कार्य, भारत सरकार से पूर्वानुमति के बिना किये जाने के फलस्वरूप रेंज केस सं0 20/हाथरस/2022–23 दिनांक 25.07.2022 द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–33 के तहत एच0–2 केस निर्गत किया गया। विषयक निर्गत एच0–2 केस में अर्थदण्ड के साथ दण्डित करते हुए मु0 60,000.00 (साठ हजार रूपये मात्र) बसूल किया गया है। भारत सरकार की पत्र सं0–08बी/यू0पी0/06/68/2022/एफ.सी./311 दिनांक 24.08.2023 के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 293/14–1 दिनांक 31.07.2023 द्वारा उक्त प्रतिष्ठान को बन्द करा कर संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोक दिया गया तथा उल्लधंन हेतु दोषी प्राधिकरण के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 0032 दिनांक 22.02.2024 दर्ज करायी जा चुकी है। उक्त के अतिरिक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत होने के पश्चात् निर्धारित दण्डात्मक एन0पी0वी0 पेनल्टी स्वरूप, कैम्पा मद में जमा करायी जायेगी।

(डा0 चन्द्र प्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

Scanned with OKEN Scanner